

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन प्रमण्डल, आरा।

ई-पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2026-27

(Single Bid System)

- विज्ञापनदाता का पदनाम :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, आरा।
- निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक-08.07.2026
- निविदा कागजात प्राप्ति (डाउनलोड) की अवधि :- दिनांक-20.07.2026 से 12.08.2026 को 3:00 बजे अप० तक।
:- वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
- निविदा कागजात जमा करने (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक-13.08.2026 को 3:00 बजे अप० तक।
- निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक-14.08.2026 को 3:30 बजे अप०
- निविदा वैधता की अवधि :- 120 (एक सौ बीस) दिन।

क्र० सं०	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रु०)	अग्रधन की राशि (रु०)	परिमाण विपत्र का मूल्य	बीड प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य अवधि
01	Construction of approach road in Mandal Kara, Ara	15.59,400/-	32,000/-	5,000/-	As per website	4 माह

- भोजपुर (आरा) जिलान्तर्गत चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा हेतु सक्षम होंगे।
- निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जायेगा।
- परिमाण विपत्र की राशि कम या अधिक हो सकती है तदनुसार परिमाण-विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि देय होगी।
- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक:-5768 (भ), दिनांक:-18.07.2023 के अनुपालन में निविदा दर की न्यूनतम अधिसीमा को असीमित कर दिया गया है। तदनुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार का अधिसूचना सं०-447(S) सह-पठित ज्ञापांक:-448(S) दिनांक:-16.01.2020 में किये गये प्रावधान के अनुसार परिमाण-विपत्र की दर से कम दर निविदा करने वाले निविदाताओं को एकरारनामा के समय Additional Performance Guarantee जमा करना होगा।
- निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा) Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card अथवा Internet Banking) के माध्यम से जमा करना होगा।
- ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा, इस निबंधन से उन्हें User ID, Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature) भी प्राप्त करना होगा। User ID/Password/DSC एवं इंटरनेट के माध्यम से संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
- संवेदक/फर्म द्वारा बेल्ट्रान को भुगतान की जाने वाली राशि B.S.E.D.C का Bid Processing Charge + Service Tax के राशि का भुगतान संवेदक को Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid Processing Fee Account में Credit करना होगा।
- निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जायेगा। ई० निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथमतः, प्लॉट नं०-एम/22, रोड़ नं०-25, श्री कृष्णानगर, बैंक ऑफ इण्डिया कम्पाउंड, पटना-800001, दूरभाष सं० 0612-2523006 एवं मो० सं०-9939035696 से प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाईट पर ही निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करना होगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाईट से प्राप्त होगी।
- कार्य की पूर्ण जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क की जा सकती है।
- बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित है।
- अग्रधन की राशि केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार जमा किया जाएगा।
- उच्च अधिकारियों द्वारा मद, मात्रा एवं राशि में जो भी परिवर्तन होगा वह निविदादाताओं को मान्य होगा।
- Defect Liability Period मूल कार्य के लिए 3 (तीन) वर्ष एवं मरम्मत कार्य के लिए 1 (एक) वर्ष होगा।
- कार्य संपादन के पश्चात निधि उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जाएगा। किसी कारण से अगर भुगतान में विलम्ब होता है तो भुगतान हेतु मानक विपत्र की राशि ही अनुमान्य होगा तथा उसपर सूद की राशि देय नहीं होगी। नियमानुसार विपत्र से श्रोत पर जी०एस०टी०, आयकर, जमानत की राशि एवं 1 (एक) प्रतिशत लेबर सेस सहित अन्य कटौतियों के पश्चात भुगतान की कार्यवाई की जाएगी।
- निविदादाता को कार्य के लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अनुमोदित दर के अलावे किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
24. निविदाकार को सभी निविदा कागजात यथा अग्रधन की राशि, निबंधन, पैन कार्ड, जी0एस0टी0, वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र इत्यादि जो निविदा की योग्यता को पूर्ण करते हैं, को Scan कर अपलोड करना होगा।
25. यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोलने की तिथि मानी जाएगी।
26. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड/Litigation History है, निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, Litigation History नहीं है, किसी भी कार्य को उनके द्वारा अधूरा नहीं छोड़ा गया है।
27. कालीकृत या कार्य से डिबार किये गये संवेदक निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है तो उस निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
28. निविदादाता निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। बाद में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
29. कार्यावंटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।


18/07/2026
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, आरा।